आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख सहि
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 17/20158–19
आवेदक– शिवजन उराँव
वनाम
विपक्षी– भैराव लाल
आदेश

19.9.19 आवेदक शिवजन उराँव, पिता–स्व0 केसरा उराँव, सा0–बडी भगियामारी, पो0– जामनगर, थाना–तालझारी, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये है। आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विपक्षी से कारणपृच्छा की मांग की गई एवं आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यो पर अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
हाथीगड़	32	43	03–03–10 धूर के अन्दर 02 कट्ठा

आज आवेदक अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से वकालतन हाजरी है। आवेदक पिछले चार तिथियों से अनुपस्थित है। आवेदक ने अपने मूल आवेदन में कहा है कि मौजा हाथीगड थाना न0 05 के जमाबंदी न0 32 दाग न0 43 में रकवा 03–03–10 धूर जमीन है, जो खतियान में आवेदक के दादा के नाम से दर्ज है। तथा यह जमीन दामिन कोह किस्म अहस्तान्तरणीय है। विपक्षी आवेदक के जाति के नही है और न ही उक्त जमीन के वारिशान है, परन्तु आवेदक को कमजोर एवं अनुसूचित जनजाति के होने के कारण विपक्षी बलपूर्वक उक्त जमीन में से 02 कट्ठा जमीन 6 माह पूर्व अतिक्रमण कर बल पूर्वक घर बनाने लगें। आवेदक के द्वारा मकान बनाने से मना करने पर विपक्षी आवेदक को जान से मारने का धमकी देते है।

अतः आवेदक ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया किये है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के ओर से वकसलतन हाजरी है। पुकार पर अनुपस्थित। विपक्षी ने अपने पक्ष रखना उचित नही समझा है और न ही अपने दावे के समर्थन में कारणपृच्छा या किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल किये है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 359/रा0, दिनांक 30.05.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा हाथीगड थाना न0 05, बंगला महराजपुर के अन्तर्गत प्रधानी एवं अहस्तान्तरणीय है। मौजा हाथीगड के ज0न0 32 दाग न0 43 रकवा 03–03–10 धूर जमीन नकल खतियान/खतियान स्लीप में मायाराम धांगड वो लाल धांगड, सा0– बडा भगियामारी दर्ज है। जाँच के क्रम में मौजा के प्रधान एवं ग्रामीणो द्वारा बताया गया आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। जाँच के क्रम में विपक्षी द्वारा दिनांक 28.12.1980 का तैयार किया गया दानपत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त मौजा हाथीगड के ज0न0 32 दाग न0 43 अंश रकवा 00–02–00 धूर अंकित है, जिसे आवेदक के पिता केसरा उराँव पिता–स्व0 तेतर उराँव सा0– बडी भगियामारी के विपक्षी भैरो लाल वो शंकर लाल सा0–हाथीगड को दिया है, जिसकी छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। जाँच के क्रम में पाया गया विपक्षी द्वारा दाग न0 43 अंश रकवा 00–02–00 धूर को अवैध रुप से दखल किया गया है। आवेदक जाति के उराँव(अनुसूचित जनजाति) के है। खतियानी रैयत के साथ विपक्षी का कोई संबंध नही है। उक्त जमीन दामिन कोह है।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, तालझारी के प्रतिवेदन का अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दाग न0 43 के अंश रकवा 05 कट्ठा जमीन अवैध रुप से दखल किया या है। अतएव विपक्षी भैराव लाल को उक्त वर्णित 02 कट्ठा जमीन से संथाल परगना काश्तारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी तालझारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner